न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –50 / 2019
जी0सी0एम0.एस0 पोर्टल संख्या–2019 / 00063

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. देवानाथ पुत्र हीरानाथ 2. कालूनाथ पुत्र हीरानाथ 3. पुसानाथ पुत्र हीरानाथ 4. हेमनाथ पुत्र भंवरनाथ जाति नाथ निवासीगण कुराड़ा तहसील परबतसर जिला नागौर		रामस्वरूप नाथ पुत्र बींझानाथ जाति नाथ निवासी कुराडा तहसील परबतसर जिला नागौर

उपस्थिति:–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से वकील श्री गंगासिंह कालवी।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी।

निर्णय दिनांक 12/11/2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत प्रकरण संख्या–1 / 2019 रामस्वरूपनाथ बनाम देवानाथ वगैरह प्रकरण में तहसीलदार परबतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.08.2019 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपीलान्टस् की ओर से बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट रामस्वरूप ने उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उसके घर व बाडे में आने जाने वाले रास्ता को बंद कर दिया जिससे हमारे घर से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया है अन्य कोई रास्ता नहीं है जो खुलवाया जावे। इस प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार परबतसर को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए भेज दिया। तहसीलदार ने भू.अ. निरीक्षक जावला की रिपोर्ट मंगाई। इस रिपोर्ट के अनुसार मौजा कुराडा के खसरा नम्बर 565, 566, 567, 568 कुल रकबा 3.32 हैक्टेयर में रामस्वरूप पुत्र बींझानाथ, भंवरनाथ वगैरा पिसरान हीरानाथ, गिरधारीनाथ, दुर्गानाथ पिसरान हरिनाथ, प्रेमनाथ पुत्र जगनाथ, खेमनाथ, पप्पुनाथ, हुकमनाथ पिसरान छोटूनाथ की संयुक्त खातेदारी की दर्ज है। खसरा नम्बर 568 ए.बी.सी. तक रास्ते के बिन्दु में से कदीमी रास्ता ज[illegible]दारों की सहमति से खोला हुआ है। खसरा नम्बर 567 गै.मु. कु[illegible] देवानाथ, पुसानाथ, कालूनाथ, पिसरान हीरानाथ, हेमनाथ पुत्र भंवरनाथ वगैरा [illegible] रास्ता रोका हुआ है तथा बिन्दु डी. से ई. तक रास्ता खुला हुआ है [illegible] चलता था। रास्ता को [illegible]त दिखना बताया है बिन्दु ई. से डी. तक रास्ता 50 फुट बंद बताया गया है। निरीक्षक भू.अ. की फर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:30 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

मौका रिपोर्ट प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को भेजी गई। उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा प्रार्थना पत्र का निरीक्षण कर भू.अ. की फर्द मौका रिपोर्ट पुनः इस कार्यालय को इस आशय के साथ प्राप्त हुई कि प्रार्थना पत्र में प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 सुखाचार से संबंधित है प्रकरण में उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इस अवधि के दौरान प्रार्थी रामस्वरूप नाथ द्वारा ग्राम पंचायत कुराडा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल ही ग्राम पंचायत कुराडा से इस कार्यालय में इस आशय के साथ प्राप्त हुआ है कि रास्ते के सुखाचार के तहत् रास्ता खुलवाने का प्रयास किया गया लेकिन खातेदारो के बीच आपसी विवाद ज्यादा होने एंव मौके पर लडाई झगडा होने से नही खोला जा सका, रास्ता बंद है। जिससे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय में काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण तामिलसुदा सम्मन पत्रावली में शामिल किये। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता अजीजखां ने वकालतनामा पेश किया, जवाब हेतु समय चाहा जो दिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 से माकूल समय दिये जाने के बाद जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी की ओर से साक्ष्य सबूत में स्वंय के गवाहान गिरधारीनाथ, दुर्गानाथ, शेतानन्नाथ, मानानाथ, तेजानाथ, भैरूनाथ तथा निरीक्षक भू.अ. जावला शोदानराम एंव पटवारी हल्का कुराडा हेमाराम के बयान कराये।

पत्रावली देखने व गवाहान भू.अ. निरीक्षक जावला की मौका रिपोर्ट से खसरा नम्बर 567 गे.मु. कुआं से पश्चिमी दिशा से खसरा नम्बर 568 में आने जाने के कदीमी रास्ता बिन्दु से डी. तक खसरा नम्बर 566 के खातेदार द्वारा रास्ता रोका हुआ है तथा मार्क सी. से डी. के बीच कांटेदार तार लगा कर रोका गया है बिन्दु संख्या सी. से डी. तक 50 फुट रास्ता चलता था तथा मौके पर रास्ते के अलामात भी दिखते है। भू.अ. निरीक्षक रिपोर्ट के अनुसार कदीमी रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है इसलिए आदेश दिया कि खसरा नम्बर 567 से 568 तक खसरा नम्बर 566 के खातेदार बंद रास्ते को सुखाचार हेतु यथावत चालू व खुला रखा जाना न्याय संगत है। अतः अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि इस पुराने कदीमी रास्ता में प्रार्थी व अन्य किसी को आने जाने में किसी तरह की रोक टोक व दखल अन्दाजी नहीं करे। मौके पर बंद रास्ते को खुलवाने हेतु भू.अ. निरीक्षक जावला को तहरीर जारी हो। इस प्रकार का आदेश अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार परबतसर द्वारा पारित किया गया है, जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

मातहत तहसीलदार ने गवाहान गिरधारीनाथ, दुर्गानाथ, शेतानन्नाथ, मानानाथ, तेजानाथ, भैरूराम, गंगाराम व भू.अ. निरीक्षक शोदानराम तथा पटवारी हल्का कुराडा हेमाराम के बयानों के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया है जो विरूद्ध कानून है। इन गवाहान के बयान अपीलांट की हाजरी में नहीं लिए न उसे जिरह का अवसर दिया। इसलिए इन गवाहान के बयान अपीलांटान के विरूद्ध नहीं पढे जा सकते। इसलिए आदेश जैर अपील विरूद्ध कानून है। भू.अ. निरीक्षक जावला की रिपोर्ट अपीलांटान के विरूद्ध नहीं पढी जा सकती क्योंकि मौका मुआयना अपीलांटान के सामने नहीं किया न उन्हे मौका मुआयना करने का नोटिस दिया न अपीलांटान के वकील को नोटिस दिया न उनके सामने मौका मुआयना किया। इसलिए यह रिपोर्ट अपीलांटान के विरूद्ध नहीं पढी जा सकती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Sohi
Date: 2021.04.05 19:18:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

गवाहान के बयान भी अपीलांटान के सामने नहीं लिये न उन से जिरह कराई गई। इसलिए ये गवाहान अपीलांटान के विरूद्ध बेअसर है और इन पर आधारित आदेश भी गलत है।

अपीलांटान ने जवाब प्रार्थना पत्र दिया था मगर उसका कोई हवाला आदेश जैर अपील में नहीं है मात्र इतना उल्लेख है कि अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया। मगर यह भी नहीं है कि क्या जवाब है। जब जवाब प्रार्थी पक्ष के अभिकथन को अस्वीकार किया जाता है तो उन्हे साक्ष्य सफाई पेश करने का अवसर भी मिलना चाहिए। मौका रिपोर्ट जो भू.अ. निरीक्षक ने बनाई वह हालांकि एकपक्षीय है मगर उसको भी भू.अ. निरीक्षक को पेश करके साबित करना चाहिए तथा वह साक्ष्य में प्रदर्श की जानी चाहिए। इसलिए उसके बिना इस रिपोर्ट को किसी आदेश का आधार नहीं बनाया जा सकता। मामला सुखाचार का माना है जो लगातार 22 वर्ष से हो तभी माना जाता है वर्ना सुखाचार नहीं माना जा सकता। सुखाचार संबंधी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। इसलिए आदेश का आधार ही गलत है।

आदेश मे तो मातहत तहसीलदार ने सभी के लिए रास्ता मान लिया है जबकि सुखाचार तो कई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से माना जाता है इसलिए भी आदेश गलत है। ऐसे मामलो में पहले 45 दिन में मात्र ग्राम पंचायत को ही अधिकार है मगर इस मामला में ऐसा नहीं है इसलिए तहसीलदार को पहले 45 दिन में नोटिस लेकर कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था इसलिए आदेश गलत है का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट रामस्वरूपनाथ द्वारा ग्राम कुराड़ा में अपने मकान व बाड़े में आने जाने हेतु एक मात्र आने जाने के रास्ते को अपीलान्ट व अन्य द्वारा बंद कर दिया जाना अवगत कराते हुऐ उक्त रास्ते को खुलवाने हेतु निवेदन किया । उक्त संबंध उपखण्ड अधिकारी परबतसर से प्राप्त निर्देश के कम में तहसीलदार परबतसर द्वारा दिनांक 29.04.2019 को प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण (अपीलान्ट) को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) एवं अप्रार्थीगण (अपीलान्टस) को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय जैर अपील पारित किया गया।

प्रकरण में पटवारी कुराड़ा व भू–अभिलेख निरीक्षक जावला की मौका फर्द मौजा कुराड़ा की रिपोर्ट दिनांक 23.07.2019 के अनुसार मौजा कुराड़ा के खसरा नम्बर 565, 566, 567 व 568 कुल रकबा 3.32 हैक्टयर रामस्वरूपनाथ पुत्र बींजानाथ, भवरनाथ वगै. पि. हीरानाथ, गिरधारीनाथ दुर्गानाथ पि. हरिनाथ, प्रेमनाथ पत्र जगन्नाथ, खेमनाथ पप्पूनाथ हुक्मनाथ पि. छोटूनाथ कौम नाथ वगैरह की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। मौका फर्द पर अंकित नजरी नक्शा के अनुसार कटाणी रास्ते से बिन्दु ए.बी.सी तक खसरा नम्बर 568 में से कदीमी रास्ता खुला हुआ है, जो खातेदारों की सहमति से खोला हुआ है। खसरा नम्बर 567 गै.मु. कुआ से पश्चिमी दिशा में खसरा 568 में जाने के कदीमी रास्ता बिन्दु सी से डी तक खसरा नम्बर 566 में सहखातेदार देव[illegible]नाथ, कालूनाथ पि. हीरानाथ, हेमनाथ पुत्र भवरनाथ वगैरह द्वारा रास्ता रोका है। बिन्दु [illegible] ई तक रास्ता खुला हुआ है, लगभग डेढ़ वर्ष से कांटेदार तार [illegible] हुआ के पास में पानी टंकी है। मौतबिरान द्वारा बताया गया कि डेढ़ वर्ष पूर्व बिन्दू सी से डी तक रास्ता खुला था। उक्त रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मौका देखने से लगता है कि बिन्दू सी से डी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:30 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

तक रास्ता चलता था। रास्ते के निशानात भी दिखते है। बिन्दु सी से डी तक का रास्ता 50 फीट बन्द है और अन्य रास्ता जाने हेतु नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुखाचार के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अधीन खसरा नम्बर 567 से 568 तक खसरा नम्बर 566 के खातेदार बन्द रास्ते को सुखाचार हेतु यथावत चालू एवं खुला रखा जाना न्यायोचित मानते हुऐ बन्द रास्ते को तत्काल खोलने निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, वह पूर्णतया उचित है। पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.2019 पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण नहीं है। वकील अपीलान्ट द्वारा निर्णय जैर अपील को निरस्त किये जाने के संबंध में कोई ठोस आधार प्रकट नहीं किये है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार परबतसर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:30 IST
Reason: SelfAttested